प्रपत्र-2

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1– क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पंत नगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण किया जाना।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	सलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होना।
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	सलग्न
च) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है।	वर्तमान में प्रत्यक्ष रुप से 150 व्यक्ति कार्यरत हैं, एंव देशभर में लगभग एक करोड़ मानव दिवस को रोजगार प्राप्त होता है।
2– कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सलग्न
3– परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	शून्य
क) परिवारों की संख्या	शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4– क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नही)	नहीं
5– प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सलग्न
6– निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	सलग्न

दिनांक– 11-03-2013

स्थान– पन्तनगर

ह0/ प्रयोक्ता एजेन्सी

नाम–

मोहर (जनक राज बहल)
प्रभारी वैज्ञानिक
SCIENTIST-IN-CHARGE
सीमैप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर
CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र - 2.1

परियोजना का नामः– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या–

7– परियोजना / स्कीम का स्थान–	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के गौला राजि के खमियां ब्लौक के अर्न्तगत स्थित है।
i. राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
ii. जिला	उधम सिंह नगर।
iii. वन प्रभाग	तराई पूर्वी व प्रभाग हल्द्वानी।
iv. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	115.79 है0
v. वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन क्षेत्र।
vi. हरियाली का घनत्व	0 – 0.10
vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सलग्न।
viii. भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	सलग्न।
ix. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 300 मीटर।
x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉं अनुबन्धित की जाए)	शिवालिक ऐलीफैन्ट रिर्जव के अर्न्तगत घोषित है।
xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / सकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।	नहीं।
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	सलग्न।
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉं / नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	सलग्ंन।
ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	सलग्ंन।
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	सलग्ंन।
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	सलग्ंन।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12– प्रभाग / जिला प्रोफाइल

	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	3422.00 है0
i.	जिला का वन क्षेत्र।	3096.72 है0
ii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	40 मामले, 463.43 है0
iii.	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	658.519 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	---
	वर्ष 20010–11 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	57.582 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	---

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। *(स्वीकृति हेतु प्रेषित)*

दिनांक– 15.4.2013

स्थान– हल्द्वानी।

नाम–(पी0के0 पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

-62-

Copy of Van (Kha) Vibhag, G.O. No. 4719/XIV-B dated Sept. 19, 1964 frr to the C.C.F., U.P

***

Subject: Grant of land to Central Indian Medicianl Plants Org. for large scale development of medicinal and aromatic plants in U.P.

With reference to your letter no. 5364/16-18 (Pt.B) dated June 2, 1964 on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the lease of 300 acres of forest land in Khatima Block of T&B Division to the Central Indian Medicinal Plants Org. Lucknow for a period of 25 years on an annual rental of Rs.1/- per acre for large scale development ~~annual rental of~~ of medicinal and aromatic plants on the following terms and conditions:-

(a) The land will be utilized for the specific purpose for which lease is granted and the land will revert to the Forest Deptt. if not required by the Central Indian Medicinal plants Org.with all the immovable property without payment of any compensation.

(b) The Central Indian Medicinal plants Org. will render free adv advice to the forest Deptt. U.P. and other Govt. departments of the state in all aspects of medicinal herbs and Shrubs etc. and shall intimate their research programme and research results from time to time.

(c) The land will be handed over to the Central Indian Medicinal Plants Org. after clearance of forest growth. If Central Indian Medicinal Plants Org. want any trees to,remain there they shall pay for those trees at market rates.

(d) The Central Indian medicinal plants Org. will fence the area as and when necessary in order to avoid social difficulties.

2. A draft lease deed may please be submitted to Govt. for approval and the lessee may please be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee under the Head of Account "XVII-Administration of Justice-Misc. D-Fees received by Govt. servants for work done for privat bodies" and to send a receipted copy of the Treasury chalan to Govt. conveyancer direct.

Copy forwarded to:-
2. The C.F.W.C., U.P. for information and necessary action.

By order
Sd/- O.P. Mathur,

OFFICE OF THE C.F.W.C., U.P.

R. No. 1835/16-6 (Drug), dated Nainital Oct. 20, 1964.

Copy forwarded to DFO T&B for information and necessary action in continuation of this office no. 596/16-6(Drug) dated 8-9-64 The draft lease deed should be drawn after incorporating the above conditions and submitted to this office in duplicate for submission to Govt. in due course. Action on para (1) of the above G.O. also be taken and intimated to this office.

The CIMPO authorities should also be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee and compliance reported to this office. Action to auction ~~of~~ the trees on the land should also be taken as intimated by him in his letter no. 482/5-7 dated 3.8.1964.

Sd/- ~~D.P. Joshi~~ For C.F.W.C., U.P

(6)

-2-

OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, T. & B. FOREST DIVISION

No. 1852/5-7. Dated Haldwani Oct. 23, 1964.

Copy forwarded to Sri B.C. Gulati, Northern Zonal Central C.I.M.P.O., Bhotiaparao Haldwani for favour of taking necessary action. The trees in the ~~250~~ 250 acres plot to be handed over to him have been sold by auction and clearance will be made by Feb.'65 next. He is also requested to move his department for completing necessary formalities in respect of the lease.

अग्रेषित

प्रधान लिपिक

तराई भाबर वन प्रभाग

हल्द्वानी

(U.S. Bora)
Divisional Forest Officer,
T. & B. Forest Division

Copy to R.O. Haldwani for information ~~and~~ getting the area cleared early. The trees not to be felled will be require to be enumerated diam. wise for assessing their value. He will submit the list by the end of next month positively.

(U.S. Bora)
Divisional Forest Officer,
T. & B. Forest Division.

MPO (NZ)
24.1.64.
No. 576.

Tewari/23/10/

Copy forwarded to DFO T&B for information and necessa action in continuation of this office no. 596/16-6(Drug) dated 8-9. The draft lease deed should be drawn after incorporating the above conditions and submitted to this office in duplicate for submission to Govt. in due course. Action on para (1) of the above G.O. also taken and intimated to this office.

The CIMPO authorities should also be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee and compliance reported to this office. Action to auction ~~of~~ the trees on the land should also be taken as intimated by him in his letter no. 482/5-7 dated 3.9.1964.

(1)

जनपद - ऊधमसिंहनगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सुगन्ध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी 115.79 है० वन भूमि के नवीनीकरण (7) के सम्बन्ध में।

परियोजना का नामः— केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

भाग— III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।

15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हाँ।

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी के आख्या रिपोर्ट अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित। जनपद ऊधमसिंहनगर में औषधीय एवं सुगन्ध पौधा संस्थान, पंतनगर के 115.79 है० भूमि लीज नवीनीकरण हेतु यह शर्त आरोपित की जाय कि वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान द्वारा, यथावश्यकता वन विभाग की जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्य में सहायता प्रदान की जाये।

हस्ताक्षर [signature]

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.

तिथि— 22.11.2013।

नाम और पदनाम

स्थान— हल्द्वानी।

सरकारी मोहर

प्रपत्र - 2.2

परियोजना का नामः– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

भाग– ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

तिथि–

नाम और पदनाम

स्थान–

सरकारी मोहर

प्रपत्र-23

परियोजना का नामः– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर

तिथि–

नाम और पदनाम

स्थान–

सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

परियोजना का नामः– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तिथि–

सरकारी मोहर

स्थान–